संख्या:– 471/ II–2006–04(39)/04

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभागा, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 8 फरवरी, 2006

विषयः– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गंगाघाटी जल विद्युत परियोजनाएँ सिंचाई विभाग, उत्तराचंल के पत्र सं0 6345/ मु0अ0ग0 ज0प0/पी0–43/ए0आई0बी0पी0/ दिनांक 27.10.2005, पत्र सं0 4325/ ग0ज0प0/पी0–43/दिनांक 30.07.2005, पत्र सं0 4342/ग0ज0प0/ पी0–43/ दिनांक 30.07.2005 एवं पत्र सं0 5674/ग0ज0प0/पी0–43 दिनांक 28.09.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में अंकित योजनाओं के रू0 552.90 लाख के आगणनों के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 534.06 लाख (रूपये पॉच करोड़ चौतीस लाख छः हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– योजना पर धनावंटन भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

2– योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

3– अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

4– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

5– कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

क्रमशः........2

6– आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

9– एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10– कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

11– योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 172/XXVII (2)/2006 दिनांक 01 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– /।।–2006–04(39)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सीनियर, ज्वांईट कमीशनर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2– वित्त अनु–2,

3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी उत्तरांचल।

4– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 / ।।–2006–04(39)/04 दिनांक फरवरी, 2006 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि
1	जनपद रूद्रप्रयाग की चौदह नहरों (लम्बाई 13.60 किमी0) के निर्माण की योजना	125.64	120.25
2	जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खण्ड में 35 किमी0 लाईनिग की योजना	249.42	240.94
3	जनपद पौड़ी में दुगड्डा यमकेश्वर एवं द्वारीखाल विकास खण्ड में 14 किमी0 बन्द पड़ी नहरों के निर्माण की योजना	54.52	53.74
4	जनपद देहरादून के कालसी विकास खण्ड के अन्तर्गत पर्वतीय नरों में 21.50 किमी0 आफसूट के निर्माण की योजना	123.32	119.13
	योग	*552.90*	*534.06*

(रूपये पॉच करोड़ चौतीस लाख छः हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।